

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8(ड.)( ) (विधि) स्वा.शा./23/ 737

दिनांक: 28/06/2023

अधिसूचना

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 (1)(क)(ii) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार आगामी आदेश अथवा नगरीय निकाय की अवधि जो भी पहले हो तक के लिए नगर परिषद कुचामनसिटी जिला नागौर में एतद्वारा सहवृत सदस्य मनोनीत करती है:-

क्र.सं	प्रस्तावित नाम	पिता/पति का नाम	पता	मोबाईल नं.
01	मुरारी गौड	वैद्य श्याम स्वरूप गौड	आथूना दरवाजा, कुचामन सिटी जिला नागौर	9414433091
02	मोहम्मद रफीक खान (नेता)	श्री नूर मोहम्मद खान	खान मौहल्ला, कुचामन सिटी जिला नागौर	9950020074

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हृदेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

दिनांक: 28/06/2023

क्रमांक: प.8(ड.)( ) (विधि) स्वा.शा./23/ 738 - 750

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, / मां. मंत्री महोदय स्वा.शा. विभाग राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. संभागीय आयुक्त अजमेर / जिला कलेक्टर, नागौर,।
05. निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
06. उप निदेशक क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग अजमेर राजस्थान।
07. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक भाग 6 (क) राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
08. उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी को प्रेषित कर लेख है कि मनोनीत सदस्यो को एक माह में शपथ पत्र दिलवाने की कार्यवाही करें।
09. आयुक्त नगरपरिषद कुचामन सिटी को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यो को अपने स्तर पर सूचित करते हुए उपखण्ड अधिकारी से एक माह में शपथ दिलाने की कार्यवाही करें।
10. निदेशक जनसम्पर्क निदेशालय / पी.आर.ओ. निदेशालय।
11. प्रोग्रामर, (आई टी सैल) निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी